पत्रांक–7 / वेदखली(विविध)–21(क) / 14– (7)रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा
प्रधान सचिव।

फैक्स
ई–मेल

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– / /

विषय – **ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी के अन्तर्गत आवंटित भूमि से वेदखल पर्चाधारियों को निर्धारित समय–सीमा के अन्दर दखल दिलाने के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि माह सितम्बर, 2014 से राज्य भर में ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के नाम से बेदखल पर्चाधारियों को उन्हें आवंटित भूमि पर दखल कब्जा दिलाने के उद्देश्य से एक महत्वकांक्षी योजना चलायी जा रही है। विभागीय पत्रो के माध्यम से इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इसकी अवधि दिनांक–30.06.2018 तक विस्तारित भी कर दिया गया है। विस्तारित अवधि दिनांक–30.06.2018 तक शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य है तथा सरकार इसके प्रति गंभीर और प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि दखल दिला दिये गये आवंटियों को पुनः बेदखल करा देने की सूचना क्षेत्रों से प्राप्त होती है। नियमों के तहत दखल दिलाने का साक्ष्य राजस्व कार्यालयों एवं थाना अभिलेखों में संधारित कराने की आवश्यकता है। बेदखली से संबंधित विवादित मामलों के निस्तार करने हेतु बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के तहत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता अधिकृत किये गये हैं, जिसमें बिहार सरकार की भूमि के आवंटियों के अतिरिक्त भू–दान, भू–हदबंदी, प्रश्रय प्राप्त रैयतों से संबंधित अधिनियम शामिल है। भू–दान यज्ञ अधिनियम की धारा–14A (Protection to the grantee of Bhoodan Land from ejectment) के अन्तर्गत पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में धारा–23'A' में दण्ड का विधान किया गया है। भू–हदबंदी अधिनियम की धारा–27'A' के तहत बल प्रयोग कर दखल दिलाने तथा धारा–36 में दण्ड का विधान किया गया है। बिहार प्रश्रय प्राप्त अधिनियम की धारा–8(6), 8(7) में बेदखली अथवा बेदखली की धमकी देने के मामले में आदेश पारित करने तथा अनुपालन नहीं होने पर धारा–8(8) में दण्ड का विधान किया गया है और इसे संज्ञेय अपराध में रखा गया है। साथ ही अनु0जाति / अनु0जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के सुसंगत धाराओं के तहत भी कार्रवाई वांछनीय है।

कृ0पृ0उ0

अतः अनुरोध है कि एक अभियान चलाकर वेदखल हुए पर्चाधारियों को चिन्हित करते हुए पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में विस्तारित अवधि तक आवंटित भूमि पर दखल दिलाना सुनिश्चित किया जाए तथा प्रगति प्रतिवेदन जिला/विभागीय बेवसाइट पर अप–लोड कराना सुनिश्चित करने की कृपा की जाए। ताकि विस्तारित अवधि तक इस योजना का शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,
(ह०) 17/5
(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 510 (7)/रा0, पटना–15, दिनांक– 18-05-18

प्रतिलिपिः–सहायक निदेशक भू–अर्जन, प्रभारी ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓आई0टी0 मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि जिलों के बेवसाईट पर उपलब्ध ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी से संबंधित विवरणी संकलित कर प्रतिवेदन प्रशाखा–7 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसे अति आवश्यक समझा जाय।

(ह०) 17/5
(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।